प्रेस विज्ञप्ति
18.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के स्वयंभू प्रमुख दिनेश गोप और 19 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। शिकायत आतंकी वित्तपोषण और धन शोधन के एक मामले में दर्ज की गई है, जहां पीएलएफआई द्वारा व्यवस्थित जबरन वसूली और लेवी संग्रह के माध्यम से उत्पन्न कुल अपराध आय (पीओसी) लगभग **20 करोड़ रुपये** होने का अनुमान है। ईडी की जांच में अब तक **3.36 करोड़ रुपये** के धन शोधन गतिविधियों (मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल) का पता चला है ।

झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दिनेश गोप और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी और आरोपपत्रों के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत जाँच शुरू की। इन अपराधों में हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी गतिविधियों जैसी कई संगठित आपराधिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि पीएलएफआई के सुप्रीमो के रूप में दिनेश गोप एक आपराधिक उद्यम का संचालन करता था, जो हिंसा, आगजनी और धमकी के माध्यम से झारखंड और आसपास के राज्यों में ठेकेदारों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से व्यवस्थित रूप से उगाही करता था।

जाँच से दिनेश गोप द्वारा रची गई एक जटिल, बहुस्तरीय धन शोधन गतिविधि का पता चला है। इस कार्यप्रणाली में जबरन वसूली गई नकदी को मुखौटा(शेल) कंपनियों के एक नेटवर्क में डालना शामिल था, जिनकी अगुवाई उसकी दोनों पत्नियाँ, शकुंतला कुमारी और हीरा देवी करती थीं। इन संस्थाओं का, जिनका कोई वैध व्यवसाय नहीं था, बैंकिंग प्रणाली में भारी मात्रा में अवैध नकदी जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर इस धन को हवाला लेनदेन, स्थानीय धन हस्तांतरण ऑपरेटरों के एक नेटवर्क और तीसरे पक्ष के व्यवसायों सहित विभिन्न जटिल तंत्रों के माध्यम से स्तरीकृत किया गया, ताकि उनके आपराधिक मूल को छिपाया जा सके। अंततः, लूटे गए धन को लग्जरी वाहनों और सावधि जमाओं सहित उच्च-मूल्य वाली संपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से वैध अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया गया, और परिवार के निजी खर्चों के लिए भी इस्तेमाल किया गया।

ईडी ने पहले पीएलएफआई के एक प्रमुख सहयोगी निवेश कुमार के खिलाफ 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा के (अपराध की आय) पीओसी (जिसमें हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए दिनेश गोप से मिले 2 करोड़ रुपये भी शामिल थे) की धन शोधन के आरोप में अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद, दिनेश गोप को ईडी ने 20 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर लिया।

वर्तमान शिकायत में, ईडी ने सभी 21 आरोपियों पर धन शोधन के अपराध के लिए मुकदमा चलाने और अपराध की आय (पीओसी) के रूप में पहचानी गई संपत्तियों (जिसमें जब्त नकदी, बैंक बैलेंस और वाहन शामिल हैं) को जब्त करने की प्रार्थना की है।

आगे की जांच जारी है।